

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग  
क्रमांक :- प.25(5)आयु./2020 पार्ट

जयपुर दिनांक: 16.06.2020

### आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.04.2020 द्वारा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत समस्त आयुर्वेद, हौम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्साधिकारी तथा नर्स-कम्पाउण्डर की सेवाएं अग्रिम आदेशों तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार को प्रदान की गई है।

उक्त आदेशों को प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाकर समस्त विभागीय चिकित्साधिकारी तथा नर्स-कम्पाउण्डर को पूर्व की भांति आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभागान्तर्गत तत्काल प्रभाव से कार्य करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,  
-एसडी-  
(आर.पी. चतुर्वेदी)  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN  
क्रमांक: सामा./कोविड-19/2020-21/1577 दिनांक: 16.06.2020

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राजस्थान।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान/खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देकर लेख है कि यूनानी चिकित्सा विभाग के चिकित्साधिकारी तथा नर्सिंग कर्मियों को उनके मूल पदस्थापन स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर सूचना से इस विभाग को अवगत करावे।
5. समस्त यूनानी चिकित्साधिकारी/कार्मिक, यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान।
6. संबंधित श्री .....
7. रक्षित पत्रावली।

9  
निदेशक